07.6.22 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसील
रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा
बहस की गई। बहस सुनी जाकर मनन किया
गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर
पाया गया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रा० पत्र
अन्तर्गत धारा 136 LR Act प्रस्तुत कर निवेदन
किया गया है कि तहसील घड़साना के चक
19 MD के प.नं. 24/1 के कि.नं. 1 ता 15 व
18 ता 24 कुल 22 बीघा प्रार्थी को दिनांक 20.5.1974
को आवंटित हुई थी एवं कि.नं. 16,17,25 स्मालपैच
में दिनांक 15.01.1980 को आवंटित हुई थी। उक्त
खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है।
प्रार्थी का सही नाम बचन सिंह पुत्र जगतार

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिंह है। उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जगतार सिंह के स्थान पर सहवन से जगतसिंह अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम जगतार सिंह ही है। आवंटन आदेश एवं समस्त आवंटन पत्रावली में भी पिता का नाम जगतार सिंह है। जमाबंदी में गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी को कृषि भूमि पर नहरी लोन व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती है। इसलिए उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम जगत सिंह के स्थान पर जगतार सिंह किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज कर तहसीलदार घड़साना से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार उक्त विवादित भूमि वर्तमान जमाबंदी में बचन सिंह पुत्र जगत सिंह जाति रायसिख सा० कैरी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। आवंटन आदेश दिनांक 28.05.1974 में चक 19 MD का प.नं. 24/1 का मिसा नं. 1 ता 15, 18 ता 24 का 22 बीघा बचनसिंह पुत्र जगतार सिंह जाति रायसिख सा० दुलापुर कैरी तहसील	

(हस्ताक्षर)

गंगानगर दर्ज है तथा इ०सं० 6 में प्रार्थी के पिता का नाम जगतार सिंह है। आवंटन आदेश स्मालपेच कि०नं० 16,17,25 का 3 बीघा में बचन सिंह पुत्र जगतारसिंह जाति रायसिख सा० 19 MD दर्ज है। उक्त 3 बीघा का अमलदरामद करते समय इ० सं० 23 दिनांक 18.05.1981 में प्रार्थी के पिता का नाम जगतसिंह दर्ज हो गया। खातेदारी सनद पृ०सं० 175 क्र० सं० 44 व इ० सं० 39 में प्रार्थी के पिता का नाम जगतसिंह दर्ज हो गया। खसरा गिरदावरी सम्वत 2046-49 में बचन सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति रायसिख सा० कैरी खातेदार दर्ज है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने के पश्चात् एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के आवंटन आदेश एवं पूर्व की गिरदावरी में प्रार्थी के पिता का नाम जगतार सिंह ही दर्ज है। तथा प्रार्थी के वर्तमान समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बचन सिंह पुत्र जगतार सिंह ही दर्ज है। अमलदरामद के दौरान जमाबंदी में सहवन जो जगतसिंह दर्ज

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो गया। उक्तानुसार विवेचन करने के पश्चात् अन्त विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि तहसील घड़साना के चक 19 MD के प.नं. 24/1 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बचन सिंह पुत्र जगतसिंह के स्थान पर दुरुस्त करते हुए बचन सिंह पुत्र जगतार सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार घड़साना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 07.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना